भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2419
दिनांक 21/03/2025

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक संपरीक्षा प्रोटोकॉल प्रणाली

2419. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक मंत्रालय द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक संपरीक्षा प्रोटोकॉल प्रणाली स्थापित करने तथा प्रत्येक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अनुसंधान केंद्र पर अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2017 में गठित समिति द्वारा बारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न आईसीएआर योजनाओं के परिणामों के संबंध में की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा आज की तिथि तक इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा इन सुझावों को लागू करने का अंतिम परिणाम क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए एक वैज्ञानिक लेखा परीक्षा प्रोटोकॉल प्रणाली को स्थापित करने तथा अनुत्पादक खर्च को कम करने के लिए कई उपायों को कार्यान्वित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों की निगरानी वार्षिक रूप से अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) करती है और प्रत्येक पांच वर्ष में उनका व्यापक रूप से मूल्यांकन पंच वार्षिक समीक्षा दल (क्यूआरटी) करता है। विषयवस्तु विशेषज्ञों वाली ये समितियां संस्थागत प्रगति का मूल्यांकन करती हैं और भावी अनुसंधान संबंधी दिशा-निर्देशों का मार्गदर्शन करती हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान अनुसंधान समिति (आईआरसी) आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं के आयोजना, कार्य निष्पादन और आवधिक समीक्षा पर निगाह रखती है। यह अनुमोदित अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव (आरपीपी) के अनुसार अनुमानित लेखा परीक्षा व्यय के साथ एलाइंमेंट सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक तकनीकी निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करती है। ये सभी मूल्यांकन वैज्ञानिक परिणामों (आउटपुट), संस्थागत सुशासन और वित्तीय दक्षता के आकलन के लिए हैं, जो उत्पादकता को बढ़ाने और अनुत्पादक खर्चों को समाप्त करने के लिए संस्तुतियां प्रदान करते हैं। हर वैज्ञानिक के वैज्ञानिक कार्य निष्पादन की निगरानी नियमित रूप से कृषि अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली (एआरएमएस) और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के माध्यम से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक लेखा परीक्षा अनुदेश पुस्तिका बनाई है, जिससे संसाधनों का उपयोग इष्टतम किया जा सके। इसने एक वैज्ञानिक उपकरण नीति बनाई है, जो संस्थानों में दक्ष लेखा परीक्षा और वैज्ञानिक उपकरणों के जीवन चक्र प्रबंधन को सुनिश्चित करती है तथा अनुत्पादनकारी खर्चों को न्यूनतम करती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शक्तियों के प्रत्यायोजन की अपनी पुस्तिका (हैंडबुक) को संशाधित किया है, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया जा सके। इसमें अच्छे निर्णय लेने और लागत नियंत्रण के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(ख) एवं (ग) :

- पिछले कुछ वर्षों में संस्थानों ने बीज, रोपण सामग्रियों, पशु स्वास्थ्य-देखभाल उत्पादों, पशुओं की आनुवंशिक सुधार पद्धतियों और कृषि उपकरणों आदि सहित घरेलू कृषि और कृषकों के लिए उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकियों तथा पद्धतियों के पैकेजों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राज्य सरकारों के विस्तार कार्मिकों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का तंत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। यह कार्य खेत परीक्षण (ऑन-फॉर्म टेस्टिंग) के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान की जा सके; और किसानों के खेतों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमताओं को स्थापित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए जा सकें।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुत्पादनकारी खर्च को कम करने के लिए अपनी योजनाओं को पुन: बनाया है, जो 28 से घटकर अब सिर्फ 09 हो गई हैं। वर्ष 2021-2026 की अवधि वाली आईसीएआर की योजनओं के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के दौरान वर्ष 2017 में गठित की गई समिति की अनुशंसाओं को संबोधित किया गया था। तदनुसार, निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है:
    - जलवायु अनुकूलता को बढ़ाने के लिए जीनोम एडिटिंग और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
    - भविष्य की खाद्य एवं प्रौषणिक सुरक्षा के लिए 10 लाख जनन-द्रव्य वंशक्रम वाले फसलों के जनन-द्रव्य के लिए जीन बैंक।
    - कपास की खेती करने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन।
    - राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन।
    - दलहन आत्मनिर्भरता मिशन।
    - "श्री अन्न" के लिए वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र।
    - संस्थानों ने उद्योगों के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनकी प्रौद्योगिकियों को प्रचारित किया जा सके।
    - प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों जैसे-आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटीटीटीआर आदि के साथ अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्य की शुरूआत की जा चुकी है।
    - किसानों के खेतों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन के प्रदर्शन हेतु ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रशिक्षण और अनुभवजन्य संवादों का आयोजन किया जाता है।
    - देशभर में सोया दूध और टोफू प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में सोयाबीन प्रसंस्करण में 17 राज्यों की लगभग दो सौ इकाईयां कार्यरत हैं।

****